दिनांक 25.06.2020 स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

नाली में मलबा डालने वाले पर निगम ने लगाया जुर्माना, अवैध निर्माण करने वालों पर भी हुई कार्रवाई

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई , क्षेत्र अंतर्गत सड़क किनारे नाली से आगे बढ़ाकर अवैध निर्माण करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की गई , बिना अनुमति निर्माण करने और नाली पर कचरा फेंकने वालों पर निगम की टीम ने अर्थदण्ड वसूलने की कार्यवाही की। जोन 02 के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वार्डों का निरीक्षण किया जिसमें हाउसिंग बोर्ड वार्ड 27 में बोर खनन पश्चात मलबा और गंदे पानी को सड़क पर बहाकर गंदगी फैलाने वाले से 3000 दण्डिक शुल्क लेते हुए अलग-अलग 5 स्थानों पर कार्यवाही की गई। इस दौरान पंचर दुकान के पुराने टायर में मच्छर का लार्वा पाया गया जिसे भी दण्ड लगाया गया! निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने बिना अनुमति के निर्माण और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। जिसके परिपालन में आज जोन 02 आयुक्त पूजा पिल्ले की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घासीदास नगर , हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जामुल क्षेत्र, अटल आवास सहित विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किए। घासीदार नगर के एम ब्लॉक में निवासरत बलीराज प्रजापति द्वारा सड़क किनारे नाली के आगे अतिरिक्त रूप से बढ़ाकर मकान निर्माण कर रहा था, निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर तत्काल निमार्ण कार्य को रूकवाया और 1000 रूपए दाण्डिक शुल्क लेकर मटेरियल सामग्री को हटाने 2 दिन की मोहलत दिए। घासीदास नगर जामुल थाना के आस पास अकिस अहमद, एवं जफर कुरैशी, द्वारा मांस विक्रय का व्यवसाय करते है और मुर्गीयों से निकलने वाले अपशिष्ट का नाली में फेंक देते हैं , गंदगी फैलाने एवं कचरा नाली में फेंकते पाए जाने पर दोनो मांस विक्रताओं से 500 - 500 रूपए अर्थदण्ड वसूलते हुए दोबारा ऐसा करते पाए जाने पर सख्त कार्यवाही करने चेतावनी दी गई। जामुल थाना के पास नवी हुसैन द्वारा टायर पंचर दुकान का संचालन किया जाता है, निगम के स्वास्थ्य अमले ने दुकान में पड़े पुराने टायर में भरे हुए पानी की जांच की जिसमें मच्छर का लार्वा पाया गया , टायर के पानी के लार्वा को दवाई छिड़काव कर नष्ट किया गया और दुकान संचालक से 1000 हजार रूपए अर्थदण्ड लिया गया। इसी प्रकार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वार्ड 27 के एल. भीमराव के द्वारा घर पर बोर खनन पश्चात निकले मलबे और गंदे पानी को घर के बाहर सड़क बहा देने से कॉलोनी की सड़क पर कीचड़ एवं गंदगी फैल गया था , जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर जोन 02 की टीम मौके पर पहुंची और 3000 हजार रूपए का अर्थदण्ड की कार्यवाही करते हुए सड़क

को साफ कराने की समझाइश दिए। कार्यवाही के दौरान जोन स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा , अंजनी सिंह, सुपरवाइजर विरेन्द्र पाण्डेय , जितेन्द्र तिवारी , बिलाल साहू सहित निगम के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे।